

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 856 /2023 दिनांक : 18.03.2023

श्री संजय कुमार मालवीया (RJ0849), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर को दिनांक 04.04.2023 से 06.04.2023 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 02.04.2023 से 03.04.2023 एवं 07.04.2023 से 09.04.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री मालवीया की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।


आज्ञा से

17.03.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/19/2015/1941

दिनांक : 18.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 865 दिनांक 03.03.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री संजय कुमार मालवीया (RJ0849), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर ।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर ।


18/3/23
सहायक रजिस्ट्रार